# न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 04/2020

ग्राम पंचायत तबीजी पंचायत समिति पीसांगन, जिला अजमेर ग्राम विकास अधिकारी

.....निगरानीकार

**बनाम**

श्री लालाराम पुत्र श्री छोटूराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम तबीजी, ग्राम पंचायत तबीजी, पंचायत समिति पीसांगन, जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

**अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994**

उपस्थित :–

श्री राजीव सक्सेना, वकील निगरानीकार की ओर से।

**–: आदेश :–**

**दिनांक – 09.10.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत तबीजी में दिनांक 15.05.2018 को आयोजित न्याय आपके द्वार शिविर में ग्राम पंचायत तबीजी पंचायत समिति पीसांगन द्वारा अपने संकल्प संख्या 04 दिनांक 20.04.2018 की अनुपालना में ग्राम तबीजी के आबादी आराजी खसरा नम्बर 3082 में से अप्रार्थी श्री लालाराम पुत्र श्री छोटूराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम तबीजी, ग्राम पंचायत तबीजी, पंचायत समिति पीसांगन, जिला अजमेर के पक्ष में दिनांक 15.05.2018 को आबादी भूमि का पट्टा संख्या 28 क्षेत्रफल 103.77 वर्ग गज पुश्तैनी कब्जा मानते हुए जारी कर दिया। निगरानीकार ने अप्रार्थी के पक्ष में जारी किए गये विवादित पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध बताते हुए यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है। निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया तथा अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। वकील निगरानीकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत तबीजी द्वारा न्याय आपके द्वार शिविर में अप्रार्थी से विधिवत रूप से आवेदन पत्र प्राप्त कर समुचित प्रक्रिया अपनाते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 151(1) के अन्तर्गत तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा उपलब्ध साक्ष्य व नक्शे में वर्णित सीमाज्ञान एवं सीमांकन के आधार पर अप्रार्थी को नियमानुसार आबादी भूमि में आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया। आक्षेपीय पट्टे के सम्बन्ध में अप्रार्थी के पड़ौसी द्वारा जिला स्तर पर शिकायत की गई। शिकायत की जांच हेतु नियमानुसार जन सुनवाई कर सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिये जाकर पुनः सीमाज्ञान बाबत एक कमेटी का

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

गठन किया गया। कमेटी की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि आक्षेपित पट्टा जो कि पूर्व में आबादी भूमि में जारी किया गया था, वह ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ना होकर अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में जारी कर दिया गया एवं उक्त खातेदारी आराजी राजस्व रेकॉर्ड में अप्रार्थी के नाम ही दर्ज है। आक्षेपीय पट्टा सीमाज्ञान की पूर्ण जानकारी नहीं होने से तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा दर्शित नक्शे के सीमाज्ञान के आधार पर आबादी भूमि में होने से सीमाज्ञान की त्रुटि होने के कारण ही जारी किया गया था जो किसी दुर्भावनावश प्रेरित नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपित पट्टा अप्रार्थी को विधि के प्रावधानों व नियमानुसार ही जारी किया गया था। एकमात्र सीमाज्ञान की उपलब्धता परिपूर्ण ना होने से व त्रुटिवश पट्टा जारी किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय पट्टा विलेख निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत तबीजी द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का तबीजी की सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पंचायत कोरम में प्रस्ताव पारित कर न्याय आपके द्वार शिविर में सम्पूर्ण प्रक्रिया के तहत विधिवत रूप से अप्रार्थी के पक्ष में आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया गया है किन्तु आक्षेपित पट्टे के सम्बन्ध में जिला स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर गठित कमेटी की रिपोर्ट से यह भी पूर्णतया स्पष्ट है कि आक्षेपीय पट्टे में वर्णित आराजी ग्राम पंचायत तबीजी की आबादी भूमि नहीं होकर अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 3089 है जिसमें अप्रार्थी का मकान बना हुआ है। तत्कालीन पटवारी हल्का की सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत तबीजी द्वारा त्रुटिवश आक्षेपीय पट्टा अप्रार्थी की खातेदारी आराजी में जारी कर दिया गया है। अप्रार्थी को उसकी खातेदारी आराजी में आवासीय भूमि का आक्षेपीय पट्टा जारी कर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 का उल्लंघन किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 28 दिनांक 15.05.2018 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर
अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर
अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर ★ अजमेर ★ सत्यमेव जयते